राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
46/2023	31.08.2023	27.11.2024

उनवान

जयनारायण पुत्र काना जाति बागडा ब्राहमण फौत जरिये कायम मुकामान–

1/1– गणेश पुत्र जयनारायण जाति बागडा ब्राहमण फौत जरिये कायम मुकामानः–

1/1/1– प्रभातीदेवी पत्नि गणेश जाति बागडा ब्राहमण निवासी रामपुरा ढाकावाला तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।

1/1/2– मायादेवी पुत्री गणेश पत्नि सत्यनारायण जाति बागडा ब्राहमण निवासी बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान ।

1/1/3–मंजू पुत्री गणेश पत्नि मोहन जाति बागडा ब्राहमण निवासी बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

1/1/4–नेहा पुत्री गणेश पत्नि मनोज जाति बागडा ब्राहमण निवासी डावला तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

1/1/5–विष्णु कुमार पुत्र गणेश जाति बागडा ब्राहमण आयु 14 साल नाबालिग जरिये प्रा. संरक्षक माता प्रभातीदेवी पत्नि गणेश जाति बागडा ब्राहमण निवासी रामपुरा ढाकावाला तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।

1/2– जगदीश आयु 38 वर्ष पुत्र जयनारायण जाति बागडा ब्राहमण निवासी रामपुरा ढाकावाला तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।

1/3– श्रीमती आंची पुत्री जयनारायण पत्नि मोहनलाल जाति बागडा ब्राहमण निवासी भम्भौरी तहसील जयपुर फौतशुदा जरिये कायम मुकामानः–

1/3/1– बबली पुत्री आंची आयु 8 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता मोहनलाल निवासी इंदौक्या भम्भौरी जिला जयपुर राजस्थान।

1/3/2–कु० सुमन पुत्री आंची आयु 5 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता मोहनलाल निवासी इंदौक्या भम्भौरी जिला जयपुर राजस्थान।

1/3/3–मोहनलाल (पति आंची देवी) जाति बागडा ब्राहमण आयु 38 वर्ष निवासी इंदौक्या भम्भौरी जिला जयपुर राजस्थान।

——वादीगण

बनाम

1–जुग्गाराम पुत्र भूरा जाति बागडा ब्राहमण निवासी रामपुरा फौतशुदा जरिये कायम मुकामान वारिसानः–

उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर

1/1– कल्याण पुत्र जुग्गा निवासी रामपुरा ढाकावाला तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान फौतशुदा जरिये कायम मुकामान–

1/1/1–रूकमा देवी पत्नि हरसहाय पुत्री कल्याण जाति बागडा ब्राहमण निवासी मुकुन्दपुरा पो० बिन्दायका तहसील जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।

1/1/2–कौशल्यादेवी पत्नि सीताराम पुत्री कल्याण जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी केसरीसिंहपुरा तहसील मौजमाबाद जिला दूदू राजस्थान।

1/1/3–सरोजदेवी पत्नि माणकचन्द पुत्री कल्याण जाति बागडा ब्राहमण निवासी तेजावाला सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

1/1/4–आंची पत्नि लालचन्द पुत्री कल्याण जाति बागड़ा ब्राहमण निवासी तेजावाला सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

1/1/5–रामस्वरूप पुत्र कल्याण

1/1/6–नन्दकिशोर पुत्र कल्याण

1/1/7–प्रभाती पत्नि कल्याण

समस्त जाति बागडा ब्राहमण निवासी रामपुरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।

1/2– बोदू पुत्र जुग्गा मृतक जरिये कायम मुकामानः–

1/2/1–जगदीश पुत्र बोदूलाल आयु 19 वर्ष जाति बागडा ब्राहमण निवासी रामपुरा ढाकावाला तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।

1/2/2–महेन्द्र पुत्र बोदूलाल आयु 11 वर्ष नावालिग जरिये वली माता रामेश्वरी बेवा बोदूलाल जाति बागडा ब्राहमण निवासी रामपुरा ढाकावाला तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।

1/2/3–मीरा पुत्री बोदूलाल आयु 21 वर्ष जाति बागडा ब्राहमण निवासी किशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर राजस्थान।

1/2/4–सुनिता पुत्री बोदूलाल आयु 13 वर्ष नाबालिग जरिये वली माता रामेश्वरी बेवा बोदूलाल जाति बागडा ब्राहमण निवासी रामपुरा ढाकावाला तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान ।

1/2/5–रामेश्वरी बेवा बोदूलाल जाति बागडा ब्राहमण निवासी रामपुरा ढाकावाला तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।

1/3– संज्या पुत्री जुग्गाराम पत्नि रामसुख आयु 48 वर्ष जाति बागडा ब्राहमण निवासी फतेहपुरा तहसील व जिला जयपुर राजस्थान।

1/4–शांति पुत्री जुग्गा पत्नि लक्ष्मीनारायण आयु 43 वर्ष जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी पिनाई तहसील चौमू जिला जयपुर राजस्थान।

2–घासीराम पुत्र भूरा जाति बागडा ब्राहमण निवासी रामपुरा ढाकावाला तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।

3–रामसहाय पुत्र भूरा जाति बागडा ब्राहमण फौत जरिये कायम मुकामानः–

3/1– हरभजन पुत्र रामसहाय जाति बागडा बाहमण फौत जरिये कायम मुकामानः–

3/1/1–गुलाबदेवी पत्नि हरभजन

3/1/2–राजेश पुत्र हरभजन

3/1/3–सुशीला पुत्री हरभजन पत्नि महिपाल समस्त जाति बागडा ब्राहमण निवासी किशनपुरा, खोरा तहसील आमेर जिला जयपुर राजस्थान।

3/1/4–प्रेमदेवी पुत्री हरभजन पत्नि मदनलाल जाति बागडा ब्राहमण निवासी देवला, बोराज तहसील मौजमाबाद जिला दूदू राजस्थान।

3/1/5–अंजूदेवी पुत्री हरभजन पत्नि दिनेश कुमार जाति बागड़ा ब्राहमण निवासी साझरिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

3/1/6–ममता पुत्री हरभजन पत्नि सुरेश जाति बागडा ब्राहमण विदासी बरडा की ढाणी, बावडी, खोरा तहसील आमेर जिला जयपुर राज।

3/1/7– मंजू पुत्री हरभजन पत्नि ओमप्रकाश जाति बागडा ब्राहमण निवासी विमलपुरा मु०पो० कानरपुरा तहसील चौमु जिला जयपुर राजस्थान।

3/2– प्रभु पुत्र रामसहाय जाति बागडा ब्राहमण फौत जरिये कायम मुकामानः–

3/2/1–कमला पत्नि सुरेश पुत्री प्रभू जाति बागडा ब्राहमण निवासी देवला तहसील मौजमाबाद पो० बोराज जिला दूदू राजस्थान।

3/2/2–मन्नी पत्नि महेश पुत्री प्रभू जाति बागडा ब्राहमण निवासी बोरा बावडी जालसु पो० खोरा झोटवाडा जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।

3/2/3–कान्ता पत्नि कैलाश पुत्री प्रभु जाति बागडा ब्राहमण निवासी मुकुन्दपुरा पो० बिन्दायका तहसील जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।

3/2/4–सोनू पत्नि महेश पुत्री प्रभु

3/2/5–सुमन पत्नि लोकेश पुत्री प्रभु

समस्त जाति बागडा ब्राहमण निवासी बालावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

3/2/6–रामबाबू पुत्र प्रभु जाति बागडा ब्राहमण निवासी रामपुरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।

3/3– रूडमल पुत्र रामसहाय आयु 40 वर्ष

3/4– मोहन पुत्र रामसहाय आयु 38 वर्ष

3/5–रामनिवास पुत्र रामसहाय आयु 36 वर्ष

समस्त जाति बागड़ा ब्राहमण निवासी रामपुरा ढाकावाला तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।

3/6–प्रेम बेवा हनुमान पुत्रवधु रामसहाय जाति बागडा ब्राहमण निवासी रामपुरा ढाकावाला तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।

3/7–मु० लाडा पुत्री रामसहाय पत्नि बंशी जाति बागडा ब्राहमण निवासी किशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर राजस्थान।

4– जगन्नाथ पुत्र लिछमण जाति बागडा ब्राहमण निवासी रामपुरा फौत जरिये कायम मुकामानः–

4/1–काना उर्फ कन्हैयालाल पुत्र जगन्नाथ

4/2–पुरुषोतम पुत्र जगन्नाथ

4/3–रामु पुत्र जगन्नाथ

14/4–बल्लू उर्फ मोहनलाल पुत्र जगन्नाथ

4/5–कालू उर्फ दुर्गालाल पुत्र शिवसहाय पौत्र जगन्नाथ

समस्त जाति बागडा ब्राहमण निवासी निवासी रामपुरा ढाकावाला तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।

5– सीताराम पुत्र मांगु जाति बागडा ब्राहमण निवासी रामपुरा ढाकावाला तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।

6– रामनाथ पुत्र मांगू

7– रूडमल पुत्र मांगू

8– राधेश्याम पुत्र मांगू

9– भूरा पुत्र काल्या

समस्त जाति बागडा ब्राहमण निवासी रामपुरा ढाकावाला तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान मृतक जरिये कायम मुकामानः–

9/1–छीतर पुत्र स्व० भूरा जाति बागडा ब्रा०नि० रामपुरा ढाकावाला

9/2–श्रवण पुत्र स्व० भूरा जति बागडा ब्राहमण निवासी रामपुरा ढाकावाला

9/3–पप्पू नाबालिग जरिये वलि माता मु० ग्यारसी वेवा भूरा

9/4–कजोडी पुत्री भूरा आयु 63 साल जाति बागडा ब्राहमण निवासी नोपुरा तह० सांगानेर जयपुर।

19/5–ग्यारसी बेवा भूरा आयु 83 साल जाति बागडा ब्रा० नि० रामपुरा ढाकावाला ।

10– धन्ना पुत्र काल्या जाति बागडा ब्राहमण निवासी रामपुरा ढाकावाला तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।

11– मंगला पुत्र काल्या जाति बागडा ब्राहमण निवासी रामपुरा ढाकावाला फौत जरिये कायम मुकामानः–

11/1– मीरा पत्नि हनुमान पुत्री मंगला जाति बागडा ब्राहमण निवासी मुकुनपुरा तहसील जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।

11/2– रामेश्वरीदेवी पत्नि मंगला

11/3– दुर्गालाल पुत्र मंगला

11/4– मदनलाल पुत्र मंगला

11/5– हनुमान पुत्र मंगला

समस्त जाति बागडा ब्राहमण निवासी रामपुरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।

12– गोपाल पुत्र कल्याण जाति बागडा ब्राहमण फौत जरिये कायम मुकामानः–

12/1— गलकू पत्नि गोपाल जाति निवासी रामपुरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।

13— रामस्वरूप पुत्र कल्याण जाति बागडा ब्राह्मण निवासी रामपुरा ढाकावाला तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।

14— रामसहाय पुत्र गंगू उर्फ रामदेव जाति बागडा ब्राह्मण निवासी रामपुरा ढाकावाला तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।

15— कन्हैयालाल पुत्र गंगू उर्फ रामदेव जाति बागडा ब्राह्मण निवासी रामपुरा ढाकावाला तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।

16— गोविन्दनारायण पुत्र सूजा जाति बागडा ब्राह्मण मृतक जरिये कायम मुकामानः—

16/1— सरजू बेवा गोविन्दनारायण जाति बागडा ब्राह्मण निवासी रामपुरा ढाकावाला तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।

16/2—धापू बेवा सत्यनारायण पुत्रवधु गोविन्दनारायण जाति बागडा ब्राह्मण निवासी रामपुरा ढाकावाला तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान ।

16/3—बदाम पुत्री सत्यनारायण नाबालिग जरिये माता धापू बेवा सत्यनारायण पुत्रवधु गोविन्दनारायण जाति बागडा ब्राह्मण निवासी रामपुरा ढाकावाला तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।

16/4—मुन्नी पुत्री सत्यनारायण पौत्री गोविन्दनारायण जाति बागडा ब्राह्मण निवासी रामपुरा ढाका वाला तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।

16/5—रामेश्वर पुत्र गोविन्दनारायण जाति बागडा ब्राह्मण निवासी रामपुरा ढाकावाला तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।

16/6—ग्यारसी पुत्री गोविन्दनारायण पत्नि जगन्नाथ जाति बागडा ब्राह्मण निवासी सिवार पो० सिवार तहसील कालवाड़ जिला जयपुर राजस्थान।

16/7—प्रभाती पुत्री गोविन्दनारायण पत्नि कल्याणसहाय जाति बागडा ब्राह्मण निवासी देवली तहसील दूदू जिला दूदू राजस्थान।

16/8—मनभर पुत्री गोविन्दनारायण पत्नि रूडमल जाति बागडा ब्राह्मण निवासी भम्भौरी तहसील कालवाड जिला जयपुर राजस्थान।

16/9—कानी पुत्री गोविन्दनारायण पत्नि सुरेश जाति बागडा ब्राह्मण निवासी फतेहरामपुरा तहसील जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।

16/10—शान्ति पुत्री गोविन्दनारायण पत्नि ताराचन्द जाति बागडा ब्राह्मण निवासी फतेहरामपुरा तहसील जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।

17—ठाकूरजी श्री सीतारामजी बएतमाम पुजारी ताराचन्द पुत्र जानकीलाल जाति बागडा ब्राह्मण निवासी रामपुरा ढाकावाला तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान ।

18—ठाकूरजी श्री जगदीशजी बरतमाम पुजारी सुखदेव पुत्र महादेव जाति बागडा ब्राह्मण निवासी रामपुरा ढाकावाला तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।

19—तहसीलदार तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर

20– गोपी पुत्र गंगू जाति बागडा ब्राहमण निवासी रामपुरा ढाकावाला मृतक जरिये कायम मुकामानः–

20/1–हरिनारायण पुत्र गोपी जाति बागडा ब्राहमण निवासी रामपुरा ढाकावाला जरिये कायम मुकामानः–

20/1/1– औमप्रकाश

20/1/2– जगदीश

20/1/3–नंदा

पुत्रान हरिनारायण पुत्र गोपी जाति बागडा ब्राहमण निवासी रामपुरा ढाकावाला तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।

20/1/4–

भूरी पुत्री हरिनारायण जाति बागडा ब्राहमण निवासी बिचून

20/1/5–ज्याना बेवा हरिनारायण जाति बागडा ब्राहमण नि०रामपुरा

20/2–कन्हैयालाल पुत्र गोपी

20/3–चौथमल पुत्र गोपी

20/4–आंचीदेवी बेवा गोपाल

20/5–प्रभुनारायण पुत्र गोपाल पौत्र गोपी

20/6–तीजादेवी बेवा गोपी

समस्त जाति बागडा ब्राहमण निवासी रामपुरा ढाकावाला तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।

21– वंशी पुत्र पिदमण फौतः–

21/1–प्रहलाद पुत्र स्व० बंशी

22– श्रवणलाल पुत्र जयनारायण जाति बागडा ब्राहमण निवासी रामपुरा अकावाला तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।

23–श्योजी पुत्र काना जाति जाट निवासी मोहनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

24– भैरू पुत्र भूरा जाति जाट निवासी बसेडी तहसील कालवाड जिला जयपुर राजस्थान।

25–गुल्ला पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी बसेडी तहसील कालवाड़ जिला जयपुर राजस्थान।

26– काना पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी मोहनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान ।

27– हनुमान पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी कालवाड तहसील कालवाड जिला जयपुर राजस्थान।

28–समसिंह पुत्र पन्नालाल जाति अहीर निवासी बापूनगर जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

29— बनवारीलाल पुत्र गोपाल जाति बागडा ब्राहमण निवासी केरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

30—रोडूराम पुत्र घासीलाल

31— गोपाल पुत्र घासीलाल

32— मुकेश कुमार पुत्र गोपाल

33— रामेश्वर पुत्र रोडूराम

34— रामनिवास पुत्र रोडूराम

35— गणेश पुत्र रोडूराम समस्त जाति बागडा ब्राहमण निवासी हरबंसपुरा तहसील सांगोनर जिला जयपुर राजस्थान।

36— घासीलाल पुत्र नाथूराम जाति बागडा ब्राहमण निवासी हरबंसपुरा तहसील सांगानेर फौत जरिये कायम मुकामानः—

36/1— सीताराम पुत्र घासीराम

36/2— लालचन्द पुत्र घासीराम

36/3— सत्यनारायण पुत्र घासीराम समस्त जाति बागडा ब्राहमण निवासी हरबंसपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

36/4— पप्पू पुत्र घासीराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता छोटीदेवी बेवा घासीराम जाति बागडा ब्राहमण निवासी हरबंसपुरा तहसील सांगोनर जिला जयपुर राजस्थान।

36/5— धन्नी पुत्री घासीराम जाति बागडा ब्राहमण निवासी हरबंसपुरा तहसील सांगोनर जिला जयपुर राजस्थान।

36/6— छोटीदेवी पत्नि घासीराम जाति बागडा ब्राहमण निवासी हरबंसपुरा तहसील सांगोनर जिला जयपुर राजस्थान।

37— भोलू पुत्र गोमा जाति जाट निवासी बसेडी तहसील जयपुर जिला जयपुर राजस्थान ।

38— गोपाल पुत्र भोलू जाति बागडा ब्राहमण फौत जरिये कायम मुकामानः—

38/1— सोहन पुत्र गोपाल

38/2—मोहन पुत्र गोपाल

जाति जाट निवासी रामपुरा ढाका वाला तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।

38/3—ललिता पत्नि रामकरण

38/4— सुनीता पत्नि प्रधान

समस्त जाति जाट निवासी भन्दे बालाजी लाखास भांकरोटा जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।

39— हनुमान पुत्र भोलू जाति बागडा ब्राहमण फौत जरिये कायम मुकामानः—

39/1—सुनील पुत्र हनुमान

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

39/2–रामलाल पुत्र हनुमान समस्त जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान ।

39/3–सीमा पत्नि पप्पू पुत्री हनुमान जाति जाट निवासी लाखास भांकरोटा जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।

40–प्रधान पुत्र भोलू जाति जाट फौतशुदा

41–श्रीमती गुलाबदेवी पत्नि हनुमानसहाय जाति यादव निवासी ग्राम सिरसी तहसील जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 सपठित आदेश 47 नियम 1 जा.दी.

(रिव्यू प्रार्थना पत्र)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर सत्यमेव जयते

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण के सूक्ष्म वर्तान्त निम्न प्रकार से हैंः–

प्रतिवादी संख्या 4/1 लगायत 4/5 की ओर से पुनर्विलोकन (REVIEW) प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त उनवानी प्रकरण को दिनांक 31/07/2023 को अन्तिम रूप से निर्णित कर अन्तिम डिक्री पारित की गयी है एवं तहसीलदार जोबनेर को आदेशित किया गया है कि मुताबिक डिक्री कुरेजात राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे, लगान दर अनुसार लगान कायम करे तथा वाद मे यदि किसी पक्षकार का हित किसी भी कारण से अंतरित हो गया तो अन्तरित का नाम उस पक्षकार के पक्ष मे पारित डिक्री अनुसार दर्ज किया जावे। उपरोक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध पुनर्विलोकन (REVIEW) प्रार्थना पत्र निम्न आधारो पर पेश है–

क– उपरोक्त प्रकरण की आदेशिका दिनांक 19/07/23 निम्नानुसार है "पत्रावली पेश हुई।

प्रतिवादी हरभजन के वारिसान गुलाबदेवी, राजेश अंजूदेवी, सुशीलादेवी, ममतादेवी, प्रेमदेवी, तथा प्रतिवादी संख्या 36/1 लगायत 3624 आज भी अनुपस्थित है। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है तथा मंजूदेवी की तलबी हेतु सम्मन तलबाना पुनः पेश किया। अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में लिखित बहस पेश की गई जो शामिल पत्रावली है और बहस नहीं करना चाहते हैं पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी सम्मन आदेश हेतु दिनांक 21/07/23 को पेश हो।" चूंकि प्रतिवादी मंजूदेवी की तलबी शेष थी इसलिए दिनांक 19/07/23 की आदेशिका मे पत्रावली वास्ते इंतजार तलबी सम्मन नियत की गयी लेकिन आगामी तारीख पेशी दिनांक 21/07/23 मे प्रतिवादीया मंजूदेवी की तलबी चाबत एवं उसकी उपस्थिती अनुपस्थिती बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया एवं पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 31/07/23 नियत कर दी गयी।

ख– मंजूदेवी प्रतिवादी संख्या 3/1 हरभजन की वारिस कायम मुकामान है जो उपरोक्त प्रकरण के अनुवान में प्रतिवादी संख्या 3/1/7 दर्ज है दिनांक 19/07/23 को न्यायालय द्वारा उसकी तलबी हेतु सम्मन जारी करने के बावजुद आगामी पेशी दिनांक 21/07/23 को आदेश 9 नियम 11, 12 सी.पी.सी की अनुपालना में कोई आदेश पारित न कर पत्रावली वास्ते आदेश हेतु नियत कर दिनांक 31/07/23 को अन्तिम डिक्री पारित किये जाने से न केवल विधिक प्रक्रिया दूषित हुई है वरन विधि के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है जो

उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर

देखने मात्र से ही दर्शित होती है। इसलिए निर्णय व डिक्री का पुनर्विलोकन किया जाना आवश्यक है।

ग— यह कि दिनांक 03/07/2023 को अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का पर्चा सम्वत 2011 से 2029 खतौनी बन्दोबस्त की प्रमाणित प्रतिलिपी दस्तावेजो की सूची (फार्म नं. 3) (नियम 36) न्यायालय के समक्ष पेश की गयी थी जिस पर पिठासीन अधिकारी द्वारा रीडर शा०मि० का अंकन है। लेकिन उक्त प्रस्तुत दस्तावेजात का आदेशिका दिनांक 03/07/23 मे कोई उल्लेख नही किया गया है। उक्त दस्तावेज वादग्रस्त विषयवस्तु के सम्बन्ध मे अहम दस्तावेजी साक्ष्य है जो पक्षकारान के अधिकारो के निस्तारण में महत्ती भुमिका रखता है इसलिए सम्भवतया जानबुझकर आदेशिका दिनांक 03/07/23 में इसके प्रस्तुतीकरण व शामिल पत्रावली किये जाने बाबत आदेश पारित नहीं किया गया है यही वजह रही कि उक्त दस्तावेज के बारे में माननीय न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/डिक्री दिनांक 31/07/23 में भी निष्कर्षित नहीं किया गया है। माननीय न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण दस्तावेज का अवलोकन ही नही किया। विधिक प्रावधानो एवं विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्तो के विपरित माननीय न्यायालय ने उक्त दस्तावेज का अवलोकन न कर प्रतिवादीगण को विधिक अधिकारो से ही महरूम कर दिया है इसलिए प्रश्नगत निर्णय/डिक्री का पुनर्विलोकन किया जाना आवश्यक है।

घ—यह कि माननीय न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 31/07/23 में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1/1 कल्याण पुत्र जुग्गा, प्रतिवादी संख्या 3/2 प्रभु पुत्र रामसहाय, प्रतिवादी संख्या 11 मंगला पुत्र काल्या, प्रतिवादी संख्या 12 गोपाल पुत्र काल्या, प्रतिवादी संख्या 20/1/5 ज्याना बेवा हरिनारायण, प्रतिवादी संख्या 38 से 40 गोपाल, हनुमान, प्रधान पि० भोलू, प्रतिवादी संख्या 36/6 छोटीदेवी पत्नि घासीराम की निर्णय/डिक्री दिनांक 31/07/2023 से पूर्व ही मृत्यु हो चुकी थी। कानूनन एक मृतक व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री पारित नहीं की जा सकती है इसलिए प्रश्नगत निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध होने से इसका पुनर्विलोकन आवश्यक है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 19/04/2023 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रतितादी संख्या 11 की मृत्यु होना जाहिर कर दिया गया वा एवं इसे लिखित बहस मे भी जरिये आपत्ति न्यायालय के ध्यानाकर्षण मे लाया गया है। बावजूद इसके कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर लेने बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया गया। केवल मात्र माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा केवल मात्र लंबित आपत्तियो को सुनकर ही पुनः अन्तिम डिक्री पारित करने को निर्देशित करने का आधार मानकर एवं जिस स्थान पर प्रवितादी संख्या 11 काबिज बताया गया है उसी स्थान पर प्रतिवादी संख्या 11 के विधिक वारिसान निश्चित तौर पर काबिज होने के कयास मात्र से आपत्ति खारिज कर दी गयी। जबकि मृत पक्षकार की मृत्यु पश्चात नियत समयावधि में उसके कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर लेने बाबत प्रार्थना पत्र दायर न करने की सूरत में उक्त बाद पत्र मृत पक्षकार के विरूद्ध स्वतः ही अबेट हो जाता है। इसलिए न्यायालय को ऐसे मृत पक्षकार के विरुद्ध निर्णय व डिक्री परित करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। माननीय न्यायालय ने उपरोक्त महती विधिक प्रावधानो की अवहेलना की है जो गलती सरसरी तोर पर डिक्री निर्णय के अवलोकन से स्पष्टतः परिलक्षित होती है इसलिए प्रशनगत निर्णय/डिक्री का पुर्नवलोकन आवश्यक है।

ङ— मिन प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस की मद संख्या 3 में अभिकचित आपत्ति की माननीय न्यायालय द्वारा उत्तर चितंन (after thought) मानते हुए खारिज की गयी है। जबकि नक्शे कुरेजात के अवलोकन मात्र से ही परिलक्षित होता है कि नक्शे कुरेजात में उल्लेखित आराजी खसरा नंबर 246/5, 262/45, 267/83, 270/84, 271/84, 280/86, 310/104, 104/2, 318/106, 321/107 भिन्न—भिन्न जगह स्थित है इसलिए मिन प्रतिवादीगण के कब्जे मे अन्य खातेदार को प्रविष्ट करवा कर मिन प्रतिवादीगण को अन्य खातेदार के कब्जे में

प्रविष्ट करवाने से न केवल विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है वरन् मुकदमेबाजी एवं आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वादग्रस्त सम्पति पर रिसीवर नियुक्त किया गया। बावजुद इसके माननीय न्यायालय द्वारा पक्षकारान के विवाद को न्यायोचित तरीके से निस्तारण का प्रयास नही किया गया इसलिए प्रशनगत निर्णय/डिक्री का पुनर्विलोकन आवश्यक है।

च– पक्षकारान ग्राभीण परिवेश के भोले भाले व्यक्ति है। नक्शे कुरेजात से पूर्व पक्षकारान की उपस्थिति बाबत तहसीलदार महोदय को प्रतिवादीगण को नोटिस दिया जाना आवश्यक था। उपरोक्त बाबत पत्रावली पर कोई सामग्री न होने एवं तहसीलदार महोदय द्वारा विधिक प्रावधानो के विरूद्ध बिना नोटिस दिये नक्शे कुरेजात तैयार करने एवं माननीय न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य सबुत के नक्शे कुरेजात की प्रक्रिया मे एक माह का समय लगने से प्रतिवादीगण की जानकारी की उपधारणा करते हुए प्रश्नगत निर्णयधडिक्री पारित की है जिसमे देखने मात्र से ही विधि एवं तथ्यो की गली परिलक्षीत होती है इसलिए प्रश्नगत निर्णयधडिक्री को पुर्नविलोकन किया जाना आवश्यक है। यह कि उपरोक्त निर्णय डिक्री के पश्चात पक्षकारान के कब्जे को लेकर अपने विधिक हक अधिकारो से महरूम होने से विवाद की स्थिती उत्पन्न हो गयी है। साथ ही मद नंबर 2 प्रार्थना पत्र से वर्णित अनुसार उपरोक्त निर्णय आदेश में भी गलतिया भूल अभिलेख देखने मात्र से ही प्रकट होती है इसलिए प्रशनगत निर्णयधडिक्री का पुनर्विलोकन बाबत प्रार्थना पत्र दायर करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादीगण को माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी दिनांक 08/08/23 को हुई जिस पर उन्होने नकल हेतु आवेदन किया। दिनांक 11/08/23 को प्रतिवादीगण उपरोक्त निर्णय/डिक्री की सत्य प्रतिलिपी प्राप्त हुई। जिसके अवलोकन अध्ययन पश्चात उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दायर किया जा रहा है जो अन्दर मियाद है एवं माननीय न्यायालय को सुनवाई का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर पेश है। अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर सादर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में अभिलिखित आधारो पर निर्णय डिक्री दिनांक 31/07/2023 को पुनर्विलोकन फरमाते हुए माननीय न्यायालय जो उचित समझे आदेश फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बाद तामिल अप्रार्थी संख्या 21/1 उपस्थित आया और उसने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश किया कि उक्त प्रकरण का निस्तारण दिनांक 31/07/2023 को किया जाना स्वीकार है। मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में अंकन पूर्व में ही किया हुआ था क्योकि पूर्व में जो दावा डिक्री हुआ था उसके आदेशों की क्रियान्विति की जा चुकी थी। उक्त निर्णय दिनांक 31/07/2023 में आपत्तियों का निस्तारण किया गया है। प्रार्थना पत्र का मद नं0 2 गलत है। पुनर्विलोकन गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जो स्वीकार करने योग्य नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा आदेशिका में सही विवरण दिया गया है। प्रतिवादी सं0 4/1 ल0 4/5 की ओर से यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। मंजू देवी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र पेश नही हुआ है। इसलिए इनको मंजू देवी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति करने का अधिकार नही है। प्रतिवादी सं० 3/1 हरभजन के द्वारा मान्य उच्च न्यायालय में कोई याचिका पेश नहीं की थी। इसलिए हरभजन के वारीसान् की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्तियाँ भी पेश नही करी गयी थी। मान्य न्यायालय को मात्र उन लोगो की आपत्तियाँ सुनने का आदेश दिया गया था जिन्होने राजस्व मण्डल अजमेर में पेश किया था जिन लोगों ने आपत्तियाँ पेश नही थी उनके खिलाफ सुनवाई करने का आदेश उपखण्ड अधिकारी जोबनेर को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नही दिया गया था। इसलिए प्रार्थी का यह कहना गलत है कि मान्य न्यायालय ने अपने निर्णय में विधि के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इस प्रकार के तथ्यहीन आधारों पर निर्णय व डिक्री का

पुनर्विलोकन नही किया जा सकता है। दस्तावेजों 2(ग) प्रति जो न्यायालय के समक्ष कोई पेश की जाती है उसको आदेशिका में उल्लेख किया जाना कोई आवश्यक नहीं है क्योंकि इस दस्तावेज से माननीय न्यायालय ने कोई साक्ष्य पेश नहीं किये इसे है। उक्त दस्तावेज को प्रदर्श नहीं कराया गया है। इसलिए आदेशिका में लिखा जाना आवश्यक नहीं है और न ही किसी प्रकार का अलग से आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। माननीय न्यायालय को मात्र आपत्तियों का निरस्तारण करना था जो विधि के प्रावधानों के अनुसार कर दिया गया है। मान्य न्यायालय के निर्णय से किसी भी पक्षकार के विधिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ है। इस प्रकार के झूठे आरोपों के आधार से निर्णय व डिक्री का पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में मान्य उच्च न्यायालय ने रामू पूत्र जगनाथ तथा हरभजन पुत्र रामसहाय की आपत्तियो का निरस्तारण करने का आदेश दिया गया था। अन्य पक्षकारों के द्वारा राजस्व अपील अधिकारी जयपुर एंव राजस्व मण्डल अजमेर में किसी प्रकार की आपत्तियाँ पेश नही करी थी। मान्य उच्च न्यायालय की याचिका में रामू एंव प्रहलाद ही गये थे। इसलिए मान्य न्यायालय को रामू एंव प्रहलाद की परिधि तक ही सुनवाई करने का आदेश दिया गया था। अन्य पक्षकारों के द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की गई थी। उक्त निर्णय मात्र आपत्ति पेश करने वालों के सम्बन्ध में पारित किया गया है जिन लोगों ने राजस्व अपील अधिकारी एंव राजस्व मण्डल में आपत्तियाँ पेश करी थी उन आपत्तियों के निरस्तारण हेतु मान्य उच्च न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी जोबनेर को आदेश दिया गया था कि 6 माह में आपत्तियों का निस्तारण किया जावे। इसलिए दिनांक 31/07/2023 का निर्णय आपत्तियाँ पेश करने वालों के सम्बन्ध में ही पारित किया गया है। मान्य न्यायालय को इस निर्णय में कब्जे काश्त का निर्धारण नही करना था मात्र आपत्तियों का निस्तारण करना था। इसलिए निर्णय विधि सम्मत पारित किया गया है। इसलिए उक्त निर्णय व डिक्री का पुनर्विलोकन नही किया जा सकता है। इस निर्णय में मान्य न्यायालय को नक्शे कुरेजात का निर्णय पारित नही करना था। मान्य उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आपत्तियों का निस्तारण करना था। कब्जे खातेदारी के सम्बन्ध में कोई निर्णय पारित नही करना था। वर्तमान में कोई आपराधिक प्रकरण इस जमीन के सम्बन्ध मे नही चल रहे है। रिसीवरी समाप्त हो चुकी है। मान्य न्यायालय द्वारा पूर्णतया विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। मान्य उच्च न्यायालय के ओदशों की पालना की गई है। इसलिए उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 31/07/2023 का पुनर्विलोकन नही किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र का मंद नं० 2(च) गलत है।

सभी पक्षकारान् कानून के जानकार व समझदार हैं। पिछले 40 वर्ष से उपखण्ड अधिकी के न्यायालय से लेकर मान्य उच्च न्यायालय तक 3–3 बार तक मुकदमें लड़े है। इसलिए यह कहना गलत हैं कि पक्षकारों को मुकदमें की जानकारी नहीं है। सभी गलत है कि नक्शे कुरेजात की जानकारी थी। सभी पक्षकाराकारों को स्थिति में ही नक्शे कुरेजात तैयार किए गए थे। तहसीलदार जी के द्वारा नक्शे कुरेजात तैयार करते समय विधिक प्रावधानों की पालना की गई थी। सभी पक्षकारों को नोटिस दिये गए थे। इस प्रकार के गलत आरोप लगाकर उक्त निर्णय व डिक्री का पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र का मद नं0 3 गलत है। कब्जे को लेकर मौके पर पक्षकारों के मध्य कोई विवाद नहीं है। सभी पक्षकार अपने–अपने हिस्से की अराजीयात् पर काबिज काश्त है। निर्णय दिनांक 31/07/2023 में किसी प्रकार की भूल नहीं की गई है। इसलिए उक्त निर्णय व डिक्री का पुनर्विलोकन नही किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र का मद नं0 4 गलत है। उक्त निर्णय व डिक्री का पुनर्विलोकन के प्रार्थना पत्र पेश करने वाले पक्षकार को पूर्ण जानकारी थी। नकल का प्रार्थना पत्र जान–बुझकर देरी से पेश किया गया है। पक्षकारों को नाजायज परेशान करने हेतु मियाद बहार यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज करने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर)

मान्यवर उक्त अराजीयात् के सम्बन्ध में विभाजन एंव घोषणा का दावा उपखण्ड अधिकारी महोदय के द्वारा डिक्री किया गया था जिसकी अपील रामू पुत्र जगन्नाथ के द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर की अदालत में की गई थी। अन्य किसी पक्षकार ने अपील नही करी थी। अपील अधिकारी के निर्णय की अपील प्रतिवादी प्रहलाद पुत्र बंशी के द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में की गई थी। जिसके निर्णय में उपखण्ड अधिकारी के फैसले को सही माना गया तथा यह आदेश दिया कि दिनांक 26/10/2010 की आपत्तियों की सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करें। तकासमा एवं घोषणा खातेदारी के निर्णय की राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा पुष्टि की गई। राजस्व मण्डल के निर्णय के खिलाफ रामू पुत्र जगन्नाथ व प्रहलाद पुत्र बंशी दोनो ने मान्य उच्च न्यायालय में याचिका पेश की। उच्च न्यायालय ने दोनों याचिकाओं का एक साथ निर्णय पारित किया कि दिनांक 19/06/2019 का राजस्व मण्डल अजमेर का निर्णय सही हैं। दोनो आपत्तियों के निस्तारण 6 माह में निर्णय पारित करे। मान्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर के द्वारा दिनांक 31/07/2023 को जो निर्णय किया गया है यह निर्णय दोनों आपत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में किया गया है जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में किया गया है। निर्णय दिनांक 31/07/2023 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं हुई है और न ही निर्णय में किसी प्रकार की भूल की गई है। निर्णय पूर्ण रूप से विधि सम्मत् पारित किया गया है। अभिलेख पर किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही की गई है। प्रार्थी द्वारा भ्रमित करने हेतु पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र पेश किया है। मान्य न्यायालय के द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह विधि सम्मत है। उक्त निर्णय पुनर्विलोकन किए जाने योग्य नहीं है। अतः पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया है जो मय हर्जा–खर्चा खारिज करने योग्य है।

शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए । उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी 21/1 के द्वारा जवाब पेश किया जाने के पश्चात् उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मूलतः यह वाद कृषि भूमि के बंटवारे के संबंध में था। जो न्यायालय के समक्ष वर्ष 1980 से जेरतजबीज रहा हैं। मूल वाद में जिन जिन पक्षकारान द्वारा कुर्रे कायमी रिपोर्ट पर आपत्तियां पेश की गई थी। उनकों विधिवत सुना जाकर निस्तारित किया गया था। प्रार्थी जयनारायण पुत्र काना के वारिसान के द्वारा इस प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं पर गहनता से विचार विमर्श किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात् के आधार पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र सारहीन प्रतीत होता हैं। न्यायालय हाजा द्वारा जारी डिक्री दिनांक 31.07.2023 की पालना हो चुकी हैं। यदि प्रार्थीगण को इस निर्णय व डिक्री से कोई आपत्ति थी। तो उन्हें नियमानुसार सक्षम न्यायालय में इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील दायर करनी चाहिए थी। जब न्यायालय हाजा द्वारा जारी डिक्री की क्रियान्विति हो चुकी हैं। तो वर्तमान स्टेज पर इस प्रार्थना पत्र को पेश किए जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। क्योंकि जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2023 अपास्त नहीं किए जाते तब तक उक्त निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप कानूनसंगत व न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं। अतः आदेश हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 114 सहपठित धारा 47 नियम 1 जा. दी. सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता हैं। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/11/2024

मुकुट सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते